

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

क्रमांक 2407/ वाद सं० सी-741/एस-2/2023

दिनांक: 26-7-2023

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

विपक्षी श्री सुनील रावत, श्री राकेश कुमार, श्री कपिल बत्रा एवं श्री अरुण थापा निवासी ग्राम-झाड़ोण्ड, सिमलास ग्रान्ट तहसील डोईवाला देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर लगभग 3 से 4 बीघा भूमि पर प्लॉटिंग/भू-विन्यास का कार्य किया गया है। स्थल पर कोई स्वीकृत तलपट मानचित्र नहीं दिखाया गया है। अनाधिकृत निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ तथा कार्य रोकें जाने की कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद सं० सी-741/एस-2/2023 योजित किया। उक्त चालान शुदा निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28/6/2023 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

- प्रतिलिपि:-1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को प्रकरण में ध्वस्तीकरण कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का कष्ट करें।
2. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 3. समस्त सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं/अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स) /समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्तीकरण कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
 4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को दो वाहन एवं ध्वस्तीकरण हेतु जे०सी० बी० सं संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

